

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का उनके अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध में उपांतरण) अधिनियम, 1999 एवं पेसा नियम, 2011 की क्रियान्विती:—

- भारतीय संविधान के खंड 244 (1) के तहत अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय स्व-शासन की मजबूती के लिए पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) अधिनियम, 1996 पारित किया गया। इसकी पालना में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण) अधिनियम, 1999 एवं राज्य पैसा नियम, 2011 अधिसूचित किए गए। पैसा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की निर्णय में भागीदारी सुनिश्चित कर, जनजाति क्षेत्रों में अलगाव की भावना कम करना है।
- राजस्थान के जिला (8), तहसील (47), पंचायत समिति (55), ग्राम पंचायत (1620) एवं राजस्व ग्राम 5696 अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं।
- पैसा अधिनियम/नियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा आज्ञा दिनांक 30.1.2012 जारी की गई है। जिसके अनुसार पैसा का नोडल विभाग, पंचायती राज विभाग है एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर प्रभारी अधिकारी के रूप में मॉनिटरिंग करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

राज्य में पेसा अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत अब तक किए गए मुख्य कार्य :-

- पेसा अधिनियम की मंशानुरूप अधिसूचना दिनांक 27.02.2013 से अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक राजस्व ग्राम (5696) को पेसा अधिनियम एवं नियम के लिए ग्राम के रूप में मान्यता दी गई है।
- पेसा अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए आज्ञा दिनांक 20.02.2015 से माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है साथ ही, संभाग स्तर पर 23.04.2015 को संभाग स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

- पेसा नियम, 2011 के नियम-12 की अनुपालना में अनुसूचित क्षेत्र के कुल 5696 ग्राम में से अब तक 4939 राजस्व ग्रामों में शान्ति समिति का गठन किया गया है और शेष में प्रक्रियाधीन है।
- पेसा अधिनियम, 1999 की अनुपालना में राजस्थान माईनर मिनरल कंसेशन नियम, 1986 में, राजस्थान साहूकारी अधिनियम, 1963 में, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, राजस्थान भूमि अधिग्रहण पुर्नवास नियम, 2015, आदि में संशोधन किया गया है। साथ ही आबकारी नियमों एवं गौण वन उपज नियमों में संशोधन हेतु लिखा गया है।

- पेसा अधिनियम की प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक जिले में जिला समन्वयक (कुल-8), ब्लॉक समन्वयक (कुल-55) एवं ग्राम सभा प्रेरक (कुल 1298) की एजेंसी के जरिए नियुक्त किया गया है।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1999 एवं पेसा नियम 2011 की प्रभावी क्रियान्विती हेतु आयोजित विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा कुल 3363 सहभागियों द्वारा भाग लिया गया है।

- राजस्थान पेसा अधिनियम की धारा 3(ज) के अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसे लघु जल साधनों का जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, योजना और प्रबंध पंचायती राज संस्था को ऐसे स्तर पर सुपुर्द किया जाएगा जो विहित किया जाए। उक्त प्रावधान की पालना में 300 हैक्टेयर तक के जल संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभाओं को दिया गया है।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को PSA/RGSA योजना के तहत पेसा अधिनियम के संबंध में क्षमता संवर्द्धन हेतु जारी की गई राशि एवं व्यय का विवरण:—

- विभाग को वर्ष 2015—16 से 2020—21 तक कुल 2235.08 लाख रूपये जारी किये गये जिनमें से 1215.27 लाख रूपये का उपयोग पंचायत भवन निर्माण एवं पंचायत भवन मरम्मत संबंधी कार्यों पर किया गया है।
- जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा 1019.81 लाख रूपये का व्यय आमुखीकरण और ब्लॉक कॉर्डिनेटर व प्रेरकों के मानदेय पर किया गया है।